राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः 7(4)विविध/अकाद/आकाशि/2023—02880/ दिनांक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— ग्रीष्म ऋतु में राजकीय महाविद्यालय में आमजन/छात्रों के लिए पेयजल प्याऊ/वॉटर कूलर के माध्यम से समुचित व्यवस्था साथ ही पक्षियों हेतु परिंडों एवं चुग्गा पात्र लगाने के संबंध में।

सन्दर्भः— मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार का पत्रांक 122 दिनांक 13.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित संलग्न पत्र के अनुसार लेख है अत्यधिक गर्मी को देखते हुए राजकीय महाविद्यालयों/कार्यालयों में आमजन/छात्रों के लिए पेयजल मटकियों वाली प्याऊ/वॉटर कूलर के माध्यम से समुचित व्यवस्था करवायें एवं पक्षियों हेतु पानी के परिंडों एवं चुग्गा पात्र लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए सन्दर्भित पत्र की अनुपालना सुनिश्चित करें।

<u>यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

सलंग्न—उपरोक्तानुसार।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

RajKaj Ref
7284732

Signature valid
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.05.17 16:27:37 IST
Reason: Approved

Email

Bhagchand ji

Rakesh 16.05.2024

राजस्थान सरकार

क्रमांक : 122   दिनांक : 13 मई, 2024

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 2260
दिनांक 14/05/24

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव,
शासन सचिव (समस्त)

242 16/5/24

Mr. Rakesh

16/05/24

CCE
JS, TE
JS, HE

14/05/2024

विषयः– ग्रीष्म ऋतु में राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, बस स्टेण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ / वॉटर कूलर के माध्यम से आमजन के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का पत्र दिनांक 6.3.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी को देखते हुए मानव जीवन को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। पीने के पानी की कमी के कारण मानव जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः "राज्य मे कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे" इस उद्देश्य से राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, बस स्टेण्ड आदि, सार्वजनिक एवं सुगम्य स्थानों पर विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से मटकियों वाली प्याउ अथवा वॉटर कूलर आदि से पेयजल व्यवस्था करने हेतु भामाशाहों / गैर सरकारी संगठनों / कार्मिक संगठन / धार्मिक ट्रस्टों आदि को प्रेरित कर उक्त पुनीत कार्य को करवाये जाने की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उनके नियमित रख रखाव एवं संचालन की व्यवस्था स्वयंसेवी संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों आदि के माध्यम से की जानी अपेक्षित है।

Academic ... 15.5.24 630 16.5.24

जन स्वा० अभि० विभाग द्वारा सार्वजनिक प्याऊ अथवा वॉटर कूलर हेतु पेयजल की उपलब्धता नेटवर्क फीजिबिलिटी की उपलब्धता के आधार पर करवायी जा सकेगी।

इसके साथ पक्षियों हेतु परिंडों एवं चुग्गा पात्र लगाने हेतु प्रेरित करने का कार्य करवाया जाना भी अपेक्षित है।

अतः आपके विभागों / जिलों मे उपरोक्तानुसार व्यवस्था कराये जाने का श्रम करें।

Sudhansh Pant
(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

क्रमांक : 122   दिनांक 13/5/24 मई, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के क्रम मे:

1. जिला कलेक्टर समस्त......

Sudhansh Pant
मुख्य सचिव